संख्या-51/2022/457/002-23-14-2022-10(जनरल)/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
मीरजापुर, चन्दौली, सुल्तानपुर एवं अयोध्या ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 18 अगस्त, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 में जनपद-मीरजापुर, चन्दौली, सुल्तानपुर एवं अयोध्या की 07 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर के पत्र संख्या-1416/1सी, दिनांक 08.07.2022, मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली के पत्र संख्या-1820/पू0वि0नि0, दिनांक 06.07.2022, मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर के पत्र संख्या-637/पू0वि0नि0/राज्यांश/21-22, दिनांक 25.02.2022 एवं पत्र संख्या-1283/पू0वि0नि0/राज्यांश/21-22, दिनांक 27.04.2022, मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-1060/पू0वि0नि0 राज्यांश, दिनांक 28.05.2022 एवं पत्र संख्या-959/पू0वि0नि0/राज्यांश, दिनांक 19.05.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित जनपदों की कतिपय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में अंकित जनपदों की 07 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अगली किस्त के रूप में धनराशि रू0 4,90,46,000.00 (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख छियालीस हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम/ जनपद का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	इमिलियाचट्टी मार्ग से देवनाथपुर होते हुए श्रीपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-मीरजापुर**	07/2021आई/130545/2022, दिनांक 07.01.2022	2.600	143.46	14.34	71.73
2	जमुई रामपुर वाया भुडकुड़ा मार्ग से अतरौली सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-मीरजापुर**	तदैव	1.50	84.50	8.45	50.00
3	सरने ददवा पर डाइन माई से श्यामलाल बिन्द के घर से होते	84/2019/185/23-14-2019-55आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 27.02.2019	2.80	122.35	86.70	35.13

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	हुए धपरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक मार्ग का नवनिर्माण। **जनपद-चन्दौली**					
4	ईरूल से नचना सम्पर्क मार्ग पर नचना पुल से पटरी होते हुए सेमरा जोगीबीर देवदासपुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुल्तानपुर**	157/2021/359/23-14-2021-44आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 25.03.2021	1.500	95.86	59.58	24.80
5	बाबूगंज सुदनापुर सम्पर्क मार्ग से मिश्राने स्कूल से धनऊ का पुरवा पंडिताइन का पुरवा नगरहवा होकर तकिया से गुप्तारगंज मरियम सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुल्तानपुर**	28/2022/81(2)/23-14-2022-08आ0पू0वि0नि0/2020, दिनांक 09.03.2022	2.500	156.54	85.65	58.22
6	राजस्व ग्राम ढेमा सम्पर्क मार्ग से प्राथमिक विद्यालय होते हुए मलिकपुर बखरा तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-सुल्तानपुर**	157/2021/359/23-14-2021-44आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 25.03.2021	2.00	128.03	12.80	64.01
7	कमला विकास नगर से नसरतपुर (साठ का पुरवा) होते हुये मीठेपुर गंगाराम मार्ग तक होते हुए पीठापुर मनीराम प्रधान के घर से प्राथमिक विद्यालय से जंगलवा पक्की सड़क तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-अयोध्या**	7/2022/आई/130545/2022, दिनांक 07.01.2022	5.00	373.15	37.31	186.57
			17.90	**1103.89**	**304.83**	**490.46**

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

4- परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायॅ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य विकास अधिरी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजनाओं की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(13) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,90,46,000.00 (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 056 लेखाशीर्षक 4575608000300** पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभुनाथ

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-51/2022/457(1)/022-23-14-2022-10(जनरल)/2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार,लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय,प्रयागराज ।

3- मण्डलायुक्त,सम्बन्धित मण्डल।

4- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,सम्बन्धित जनपद के अनुसार।

6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7- मुख्य अभियन्ता,सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।

8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड,प्रयागराज ।

10- वेब अधिकारी,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।